

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	माघ 22, बुधवार, १९४७- फरवरी 11, 2026 Magha 22, Wednesday, Saka 1947- February 11, 2026	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

कार्यालय नगर विकास न्यास, सीकर

प्रारंभिक अधिसूचना

सीकर, दिसम्बर 17, 2025

नगर विकास न्यास विभाग

फार्म-7

(अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013(2013 का अधिनियम संख्या 30) की धारा 11(1) एवं राजस्थान नियम 16(1)

संख्या न.वि.न्या/राजस्व/2025/ :-चूंकि ऐसा प्रतीत है कि लोक प्रयोजन के लिए जिला सीकर की सीकर तहसील में राजस्व ग्राम गोकुलपुरा में प्रस्तावित सीकर मास्टर-प्लान 2031 के अन्तर्गत 30 मीटर चौड़ी सड़क रीको से बीकानेर बाईपास तक निर्माण के लिये कुल भूमि 0.0387 हैक्टेयर भूमि अपेक्षित है। सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए) के संबंध में नगरीय विकास विभाग के पत्र सं. प.2(02)नविवि/सीकर/2025 राजकाज रेफरेंस सं. 19419011 दिनांक 16.12.2025 के द्वारा राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के नियम 9 के अधीन सामाजिक समाघात निर्धारण से छूट की सक्षम स्वीकृति प्राप्त हुई है। अतः सीकर जिले की तहसील सीकर के ग्राम गोकुलपुरा में उक्त परियोजना के लिए निजी भूमि 0.0387 हैक्टेयर जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है।

क्र.स	नाम ग्राम	खसरा न.	भूमि किस्म	रकबा	नाम खातेदार
1.	गोकुलपुरा	2100/1814	बारानी 1	0.0387 हैक्टेयर	कमला पुत्री भगवानाराम जाति जाट सा.देह.

भूमि की योजना का निरीक्षण सचिव नगर विकास न्यास सीकर एवं सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर विकास न्यास सीकर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकता है।

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 70 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सचिव नगर विकास न्यास सीकर के अधीनस्थ स्टाफ को अपने श्रमिकों सहित यदि कोई हो, को प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने तथा तलमापन करने अवमृदा के भीतर खोदने या भेदन करने तथा समस्त कार्य जो धारा 12 में वर्णित है को करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति प्रश्नगत भूमि के क्रय/विक्रय संबंधी कार्य इस अधिसूचना के जारी होने के पश्चात बिना जिला कलक्टर की पूर्वानुमति के नहीं करेगा।

इस अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिवस में यदि किसी हितबद्ध पक्षकार को भूमि अर्जन को लेकर कोई आपत्ति हो तो अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर विकास न्यास सीकर के समक्ष प्रस्तुत करें।

जगदीश प्रसाद गौड़,
सचिव,
नगर विकास न्यास, सीकर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।